जारी,
23/3/22

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 252 / 22–XIX–2 / 01 खाद्य / 2022

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर / हरिद्वार / पौडी / देहरादून / नैनीताल / चम्पावत।
3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ / गढ़वाल संभाग,
हल्द्वानी / देहरादून।
4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।
5. अपर निबन्धक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
देहरादून।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक,
भा0रा0कृषि सहकारी विपणन संघ,(नेफेड)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 मार्च, 2022

विषयः **रबी विपणन सत्र 2022–23 में विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद नीति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र संख्या–3536 / आ0वि0शा0 / रबी–खरीद / 2021–22 दिनांक 15.03.2022 से प्राप्त प्रस्ताव पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से गेहूँ खरीद प्रारम्भ की जा रही है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में रबी खरीद वर्ष 2022–2023 में गेहूँ का क्रय राज्य सरकार की जिन क्रय एजेंसियों द्वारा किया जाना है, का प्रस्ताव तथा अनुदेश निम्नानुसार हैः–

1. **गेहूँ का मूल्य**

भारत सरकार द्वारा रबी–विपणन सत्र 2022–23 के लिए अच्छे औसत किस्म के गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पत्र संख्या–7(7) / 2021 पी0वाई0–1 दिनाँक 20.09.2021 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्टल रू0
गेहूँ	2015.00

2. **गेहूँ की गुण विनिर्दिष्टयाँ**

भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–7-8/2021-S&I दिनाँक 14.03.2022 द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार रबी–विपणन सत्र 2022–23 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी गुण विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ क्रय सुनिश्चित किया जायेगा। सन्दर्भगत पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं ।

3. क्रय एजेन्सियाँ का चयन एवं खरीद का लक्ष्य

(क) रबी–विपणन सत्र 2022–23 की तैयारियों हेतु आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में दिनाँक 28.02.2022 को आहूत बैठक में तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–7(1)2022 PY.I दिनांक 11.03.2022 के आधार पर निर्णय लिया गया है कि आगामी रबी खरीद सत्र में खाद्य विभाग की विपणन शाखा, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF), नैफेड, उत्तराखण्ड प्रादेशिक कॉपरेटिव यूनियन लि0, देहरादून के अतिरिक्त उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, देहरादून भी क्रय ऐजेन्सी के रूप में नामित की गयी है तथा क्रय संस्थाओं से हुये विचार–विमर्श उपरान्त रबी–विपणन सत्र 2022–23 हेतु निम्नानुसार क्रय संस्थाएं व प्रस्तावित क्रय केन्द्रों की संख्या व गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

क्र. सं.	क्रय ऐजेन्सी का नाम	स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की संख्या		लक्ष्य (मी0 टन में)	
		गढवाल सम्भाग	कुमायूँ सम्भाग	गढवाल सम्भाग	कुमायूँ सम्भाग
1.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा)	11	25	**25,000**	**40,000**
2.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	30	124	**20,000**	**80,000**
3.	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF)	02	10	**5,000**	**10,000**
4.	नैफेड	--	22	-	**15,000**
5.	उत्तराखण्ड प्रादेशिक कॉपरेटिव यूनियन लि0 (PCU)	02	10	**5,000**	**10,000**
6.	उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, देहरादून	02	03	**5,000**	**5,000**
योग–		**47**	**194**	**60,000**	**1,60,000**
महायोगः–		**241**		**2,20,000**	

राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation के अन्तर्गत योजनाओं की पूर्ति हेतु राज्य की गेहूँ की कुल वार्षिक आवश्यकता 2,20,587 मी0टन (18382.230 मी0टन मासिक) है अतः मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत भारत सरकार से राज्य हेतु 2.20 लाख मी0टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की वार्षिक आवश्यकता की पूर्ति होने पर अधिक क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा को केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(ख) रबी–विपणन सत्र 2022–23 में समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा ई–खरीद पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों एवं राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कृषकों से ही क्रय केन्द्रों पर गेहूँ का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य के प्रत्येक कृषक का ई–खरीद पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य होगा। रबी–विपणन सत्र 2022–23 में बिना पंजीकरण कृषक का उत्पाद क्रय नहीं किया जायेगा। पंजीकरण किये जाने हेतु किसान से उसके बैंक, आधार कार्ड, कृषक आई0डी0, खतौनी, खसरा व बैंक पासबुक सम्बन्धी अभिलेख/जानकारी भी मौके पर ही प्राप्त की जायेगी। रबी–विपणन सत्र 2022–23 में कृषकों के पंजीकरण हेतु ई–खरीद पोर्टल को 11 मार्च, 2022 से क्रियाशील कर दिया गया है। जो किसान स्वयं अपना पंजीकरण करने में असमर्थ हों, क्रय केन्द्रों पर सर्वप्रथम उनका पंजीकरण किया जायेगा तथा इसे सत्यापन हेतु ऑनलाईन सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ताकि राजस्व विभाग द्वारा भू–लेख पोर्टल से सम्बन्धित कृषक, उसकी भूमि, बोयी गयी फसल व विक्रय योग्य मार्केटिबल सरप्लस का सत्यापन कर सम्बन्धित क्रय केन्द्रों को

प्रेषित किया जा सके। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश शासन के पत्र संख्या–222/22–XIX–2/01 खाद्य/2022 दिनाँक 14.03.2022 एवं संशोधित पत्र संख्या–230/22–XIX–2/01 खाद्य/2022 दिनाँक 15.03.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

(ग) रबी–विपणन सत्र 2022–23 में गेहूँ खरीद का सम्पूर्ण कार्य ई–खरीद पोर्टल पर अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) रबी–विपणन सत्र 2022–23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की अवधि **दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से दिनाँक 31 मई, 2022 तक** रहेगी। **आवश्यकतानुसार जिलाधिकारियों/सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों की संस्तुति पर क्रय अवधि बढ़ाने हेतु शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।**

4. समय सारिणी

रबी–विपणन सत्र 2022–23 में कृषकों से गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था विषयक समय सारिणी शासन के पत्र संख्या–223/21–XIX–2/01 खाद्य/2022 दिनाँक 14.03.2022 द्वारा जारी की जा चुकी है।

5. जिला खरीद अधिकारी का नामांकन

उत्तराखण्ड में रबी–विपणन सत्र 2022–23 में गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीन एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसका गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न क्रय एजेंसियों के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

6. क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना

जनपदों में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन योग्य अतिरेक (Marketable Surplus) की स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ की आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुये ग्रामों के सम्बद्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण कराया जायेगा। **क्रय केन्द्रों पर पंजीकृत कृषकों का ई–खरीद पोर्टल से ऑनलाईन सत्यापन कर वापस सम्बन्धित क्रय केन्द्रों को प्रेषित किया जायेगा।** जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। **क्रय केन्द्र खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में क्रय केन्द्र संचालित न किये जायें तथा ऐसी स्थिति भी उत्पन्न न होने पाये कि किसानों को अपने क्षेत्र से बहुत दूर गेहूँ विक्रय हेतु ले जाना पड़े क्योंकि इससे "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उपलब्ध होंगे।**

अतः क्रय केन्द्रों का स्थान निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि प्रत्येक ग्राम के 08 कि0मी0 की परिधि में कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2022–23 में जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने क्रय केन्द्रों की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के अनुरूप गेहूँ क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियाँ जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेंगी।

प्रत्येक क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम दिनाँक 25 मार्च, 2022 से पूर्व प्रत्येक दशा में खुल जायें तथा खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली

जायें। क्रय केन्द्र निर्धारित करते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि विगत वर्षों में जिन क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद नहीं हुई है अथवा अल्प मात्रा में हुयी है तथा इस वर्ष भी उन केन्द्रों पर गेहूँ आने की सम्भावना कम अथवा नगण्य हो तो उन क्रय केन्द्रों को अनावश्यक रूप से न खोला जाय।

यदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूँ की आवक नहीं होती है एवं गेहूँ का बाजार मूल्य स्थानीय मण्डियों में समर्थन मूल्य के आस–पास रहता है तो गेहूँ खरीद के लक्ष्य की पूर्ति करने के निमित्त क्रय ऐजेन्सियाँ सब सेन्टर स्थापित कर सकती है एवं आवश्यकता समझे जाने पर गेहूँ खरीद कार्य हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से मोबाईल टीम भी गठित कर सकती है, ताकि गेहूँ के बड़े उत्पादकों से उनके खेत/खलिहान से ही गेहूँ की खरीद की जा सकें। क्रय एजेन्सियों द्वारा सब–सेन्टर खोलने अथवा मोबाईल टीमें गठित करने पर उनका अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा एवं उसकी सूचना शासन/खाद्यायुक्त/ सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को आवश्यक रूप से दी जायेगी।

7. क्रय एजेंसियों को बोरा उपलब्ध कराना

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग पर रबी–विपणन सत्र 2022–23 हेतु बोरों की उपलब्धता हेतु माहवार प्लान जारी किया गया है जिसके सापेक्ष प्रथम चरण व द्वितीय चरण में माह जनवरी/फरवरी, 2022 हेतु 4032 नये एस0बी0टी0 बेल्स का इण्डैंट पटसन आयुक्त, कोलकाता को प्रेषित किया जा चुका है जिसके सापेक्ष बोरों की आपूर्ति माह मार्च के अंत तक सम्भावित है। इसी प्रकार अवशेष बेल्स की आपूर्ति भी अनुवर्ती माहों में प्राप्त होंगी।

(2) गत वर्षो की भांति पिछले खरीफ–खरीद सत्रों व रबी खरीद सत्रों के अवशेष नये बोरों, एक बार प्रयुक्त बोरों तथा अनुपयोगी बोरों में भी गेहूं की खरीद की जा सकेगी इस सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों एवं क्रय संस्थाओं को खाद्यायुक्त स्तर से उक्त बोरों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा अवशेष बोरों की सूचना उपलब्ध कराये जाने तथा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने उपरान्त ही गेहूं खरीद में इन्हें प्रयुक्त किया जा सकेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त अवशेष बोरों की प्रविष्टि अनिवार्यतः ई–खरीद पोर्टल में की जायेगी।

(3) क्रय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गेहूँ की खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। गेहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर बोरों की एक गांठ उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये गेहूँ को स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान करने की स्थिति में बोरों की आपूर्ति सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित माँग पर क्रय सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही आवश्यकता के अनुसार की जायेगी तथा अनुवर्ती माँग पर बोरे तभी दिये जायेंगे जब पूर्व में उपलब्ध कराये गये बोरों के सापेक्ष गेहूँ की मात्रा का सम्प्रदान क्रय एजेंसी द्वारा विभाग को कर दिया गया हो अथवा उसके मूल्य का समायोजन क्रय संस्था के देयकों से करा लिया गया हो। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धता के आधार पर आवंटित बोरों के उठान एवं क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय समन्वयक अधिकारी का होगा।

(5) रबी–विपणन सत्र 2022–23 में स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ जिसका सम्प्रदान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को स्टेटपूल योजना में किया जाना है, में गेहूँ प्राप्ति के समय यदि बोरे अधोमानक पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रय संस्थाओं के देयकों से नियमानुसार कटौती करने के पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

8. गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान

(1) खाद्य विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों तथा नामित कय संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये गेहूँ के भुगतान के लिए वांछित धनराशि की व्यवस्था वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0(यू0सी0एफ0) एवं अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूँ क्रय के लिये अपने स्रोतों से धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यदि कय संस्था को अग्रिम धन की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जाती है तो कय संस्थाओं के विपत्रों से इसका समायोजन कर लिया जायेगा तथा समायोजन उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाऐगें जिनका भुगतान एक सप्ताह में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) यदि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0(यू0सी0एफ0) तथा अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा रबी–विपणन सत्र 2022–23 के लिए बैंको से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर धनराशि प्राप्त की जाती है तो इसके लिए कय संस्थाओं को भारत सरकार से रबी–विपणन सत्र 2022–23 हेतु जारी अनन्तिम आनुशांगिक दरों में निर्धारित अवधि/ब्याज दरों के अनुसार ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस हेतु क्रय संस्थाओं को वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(4) राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों (खाद्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 अथवा अन्य क्रय एजेन्सी) द्वारा किसानों से क्रय किए गये गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी ताकि Flow of Funds लगातार बना रहें।

(5) क्रय संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्यतः पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ताकि भुगतान में किसी प्रकार के विलम्ब से कृषकों में असंतोष उत्पन्न न होने पावे। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तद्नुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, सम्बन्धित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान उसी किसान के नाम पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा जिस नाम से कृषक पंजीकृत/सत्यापित है।

(6) रबी–विपणन सत्र 2022–23 में गेहूँ क्रय हेतु संचालित क्रय केन्द्रों को किसी एक शैड्यूल्ड/राश्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध करके सम्भागीय वरिश्ठ वित्त अधिकारियों/सहायक वित्त अधिकारियों द्वारा "Wheat Purchase Account 2022–23" के नाम से खाता खोला जायेगा। कय संस्थाओं द्वारा कृशकों से कय गेहूँ की मात्रा तथा उन्हें पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये भुगतान सम्बन्धी विपत्र यथा पी0पी0ए0 की प्रति तथा अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न करने उपरान्त ही सम्भागीय वरिश्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा कय संस्थाओं को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) खाद्य आयुक्त स्तर पर, स्टेट पूल में क्रय किये जाने वाले गेहूँ के लिए धन की व्यवस्था यथा खाद्यान्न सब्सिडी के माध्यम से करने, फ्लो ऑफ फण्ड्स बनाये रखने तथा सम्भाग स्तर से क्रय केन्द्रों को निर्गत धनराशियों का समायोजन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सम्भागीय वित्त अधिकारी (खाद्य) तथा वित्त नियंत्रक (खाद्य) का होगा।

9. क्रय केन्द्रों पर सुविधायें

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तद्नुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख–सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायेंगी:–

(क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट, बैनर आदि।

(ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलास, कैम्पर एवं वाटरमैन आदि।

(ग) ट्रक, ट्राली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल।

(घ) कृषकों को बैठने के लिये तख्त, दरी एवं छाया के लिए शैड/शामियाना आदि।

(च) गेहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने पंखे एवं नमी मापक यंत्र।

(छ) असमय वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।

(ज) गेहूँ से भरे बोरों की सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन की व्यवस्था।

(2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उससे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की यह व्यवस्था क्रय ऐजेन्सी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगा :–

क्र0सं0	क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा	अनुमन्य व्यय सीमायें
1	सीजन में 250 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	₹ 8,000 प्रति केन्द्र
2	सीजन में 251 से 600 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	₹ 15000 प्रति केन्द्र
3	सीजन में 600 मी0टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र	₹ 20,000 प्रति केन्द्र

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी परिशद द्वारा इस सम्बन्ध में मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

10. हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान

(1) क्रय केन्द्रों पर कृषकों द्वारा विकय हेतु लाये गये गेहूँ की वाहनों से उतराई, बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं कय केन्द्र से संग्रहण डिपो हेतु ट्रकों में लोडिंग आदि कार्य सम्बन्धित कय संस्था के नियुक्त विभागीय हैण्डलिंग ठेकेदारों से कराया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य गेहूँ क्रय सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व

ही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ताकि गेहूँ खरीद में किसी प्रकार की कठिनाई न होने पावें।

(2) जहाँ तक हैण्डलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक दरों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में रबी–विपणन सत्र 2022–23 में भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या–670/21–XIX–2/18 खाद्य/2010 दिनाँक 19.08.2021 द्वारा निर्धारित मदवार हैन्डलिंग दरों के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। हैन्डलिंग दरों का मदवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मद	प्रति कुन्तल अधिकतम दर (रूपये में)
1.	Unloading the Farmer's produce and heap wherever applicable	8.00
2.	Weighing	6.00
3.	Bagging	2.00
4.	Stiching & Labelling	4.00
5.	Loading for Dispatch from procurement Centre	6.00
	Total:-	26.00

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि क्रय संस्थाओं द्वारा प्रायः हैण्डलिंग ठेकेदारों द्वारा कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ की जाती हैं जिससे किसानों का शोषण होता है। क्रय संस्थाओं द्वारा यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषकों से हैण्डलिंग मद में किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए। ठेकेदारों की इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जायेगा। ऐसे हैण्डलिंग ठेकेदार जिनका पूर्व वर्षो में कार्य सन्तोषजनक न रहा हो अथवा जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई हो तो गुण–दोष के आधार पर ऐसे हैण्डलिंग ठेकेदार कदापि नियुक्त न किये जाये।

11. क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तिः–

(1) रबी–विपणन वर्ष 2022–23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देष्य से भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा परिवहन दरों हेतु स्लैबवार SOR का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर सम्भाग स्तर पर ई–निविदा के माध्यम से परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये हैं। रबी विपणन सत्र 2022–23 के अन्तर्गत गेहूँ का परिवहन स्लैबवार एस0ओ0आर0 अथवा एस0ओ0आर0 के आधार पर द्वि–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा। यही प्रकिया अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा भी अपनायी जायेगी। खाद्य विभाग के संचालित क्रय केन्द्रों पर सम्बन्धित केन्द्र हेतु नियुक्त परिवहन ठेकेदार को ही गेहूँ खरीद केन्द्र हेतु परिवहन ठेकेदार नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) क्रय संस्थाओं द्वारा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2018 के आधार पर द्वि–निविदा के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख वाले व्यक्तियों को ही ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव

खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार नियुक्त न किया जाये। ठेकेदारों की नियुक्ति में पुराने, अनुभवी तथा ऐसे व्यक्तियों को भी वरीयता दी जायेगी, जिनके पास अपने स्वयं के ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों व क्रय एजेन्सियों का होगा कि क्रय केन्द्रों पर बिचौलिये परिवहन का कार्य न करने पाये।

(3) नियुक्त परिवहन ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के पंजीकरण नम्बर सभी सम्बन्धित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जायेगें कि जब भी वह ट्रकों को क्रय गेहूँ के परिवहन हेतु भेजें तो ट्रक चालक के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर सत्यापित करके भेजेंगे। ताकि क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सकें कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजा गया है।

(4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आंकलन कर अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता, नियुक्त ठेकेदार के पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि नियुक्त परिवहन ठेकेदार से अनुबंध करने के उपरान्त ही गेहूँ परिवहन का कार्य कराना प्रारम्भ किया जाये।

(5) परिवहन ठेकेदार से क्रय केन्द्र पर क्रय गेहूँ के मूल्य के आधार पर नगद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (अधिकतम गेहूँ खरीद के मूल्य के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार फैडिलिटी बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जायेगा। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबंध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सम्पन्न करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/**क्रय एजेन्सी** अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम तक रख सकते हैं, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही से शासन को कोई वित्तीय हानि न होने पाये। यदि परिवहन ठेकेदार की लापरवाही या अन्य कारणों से गेहूँ के संचरण में किसी प्रकार की क्षति होती है तो उससे कुल क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर प्रतिपूर्ति उसके द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयकों से सुनिष्चित की जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण सम्बन्धित क्रय एजेंसी द्वारा विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक, खाद्य को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबन्ध पूर्ण करने आदि की कार्यवाही खरीद सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जायेगी ताकि क्रय केन्द्रों पर खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई न होने पावें।

12. क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाँट का सत्यापन

रबी विपणन सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व क्रय केन्द्रों की सूची नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बाट तथा माप का सत्यापन समय–समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। सम्बन्धित विधिक माप निरीक्षक 01 अप्रैल, 2022 से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ क्रय योजना 2022–23 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले

काँटा–बाट का सत्यापन/मानकीकरण/ मुद्रांकन कर लिया गया है। साथ ही समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगी कि क्रय केन्द्रों पर सही बाट तथा काँटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईंट, पत्थर अथवा इस प्रकार के मानक बाटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बाट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। कय संस्थाओं द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में घटतौली तथा बढ़तौली की शिकायतें न होने पाये।

13. क्रय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया

रबी विपणन सत्र 2022–23 में यदि कय केन्द्र पर कय की गयी गेहूँ की मात्रा के अस्थायी संग्रहण हेतु क्रय एजेंसी द्वारा भूमि/अस्थायी गोदाम किराये पर लेने पड़ते हैं तो कय संस्थाओं को किराया भुगतान रबी विपणन सत्र 2022–23 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अनन्तिम आनुषांगिक दरों के आधार पर निर्धारित मद में खाद्य विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु कय संस्थओं को पुश्टि स्वरूप वांछित अभिलेख तथा कितनी अवधि के लिये कय गेहूँ संग्रहित किया गया है, से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

14. गेहूँ क्रय की अवधि एवं कय केन्द्र पर गेहूँ क्रय हेतु समय

दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से मण्डियों में गेहूँ की आवक होने के साथ ही मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह क्रय अवधि दिनाँक 31 मई, 2022 तक होगी जिसे आवश्यकतानुसार दिनांक 30 जून, 2022 तक शासन द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। मितव्ययता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई क्रय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे क्रय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय अपने विवेक से ले सकेगें। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 09:00 बजे से सांयः 05:00 बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार क्रय समय में वृद्धि कर सकेंगे।

कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोडकर शेष कार्य दिवसों में गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोडकर अन्य अवकाश के दिनों में भी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केन्द्र खुलवाने का निर्णय ले सकेंगे।

15. स्टेटपूल में भण्डारण, गुणवत्ता एवम् स्टॉक की सुरक्षा व्यवस्था

1. विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत स्टेटपूल में 2.20 लाख मी0टन गेहूँ भण्डारित किया जाना है। राज्य में खरीफ सत्र 2021–22 हेतु एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0/विभागीय गोदामों पर भण्डारण क्षमता आयुक्त, खाद्य द्वारा आरक्षित की जा चुकी है जिसका उपयोग आगामी गेहूँ भण्डारण हेतु भी किया जा सकेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/ कुमायूँ सम्भाग द्वारा गेहूँ खरीद हेतु यदि अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होती है तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा। गेहूँ संग्रहण हेतु भण्डारण क्षमता की कमी के दृष्टिगत एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0 से खुले में भी गेहूँ का संग्रहण कराया जा सकता है। यदि किन्ही कारणों से स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित गेहूँ क्रय के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation हेतु राज्य के गेहूँ के आवंटन की अवशेष आवश्यकता की पूर्ति केन्द्रीय पूल अर्थात भारतीय खाद्य निगम से सुनिश्चित की जायेगी।

2. केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ का सम्प्रदान तब प्रारम्भ किया जायेगा जब स्टेटपूल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी। यदि राज्य सरकार के पास भण्डारण क्षमता की कमी होती है तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने स्तर से भारतीय खाद्य निगम को भी कय किये गये गेहूँ का सम्प्रदान करने की कार्यवाही कर सकेगें। स्टेटपूल योजना में क्रय गेहूँ की मात्रा का भण्डारण खाद्य विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम (एस0डब्ल्यू0सी0) एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी0डब्ल्यू0सी0) के गोदामों में आरक्षित कराई गई क्षमता में तथा अपने वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में किया जायेगा। गेहूँ के भण्डारण उपरान्त गेहूँ की गुणवत्ता एवं स्टाक की सुरक्षा के लिए संग्रहण ऐजेन्सी क्रमशः एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगीं।

3. प्रदेश में गेहूँ खरीद की दृष्टि से अधिकांश जनपद डेफीसिट है अतः डेफीसिट जनपदों में गेहूँ की आवश्यकता की पूर्ति सरप्लस जनपदों से गेहूँ भेजकर की जायेगी, जिसका संचरण प्लान दोनों सम्भागों के सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा आवश्यकतानुसार आपसी विचार विमर्श कर तैयार किया जायेगा, जिससे सरप्लस जनपदों में भण्डारण गोदामों में पर्याप्त स्थान बना रहे तथा डिफिसिट जनपदों के खाली गोदामों में भण्डारण किया जा सके तथा उसका उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation हेतु हो सके। मूवमेन्ट प्लान में रेल, सड़क मार्ग से गेहूँ का प्रेषण इस प्रकार किया जायेगा कि खाद्यान्न पहुंचने में कम समय लगे तथा क्रय किया गया गेहूँ उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध हो सके, साथ ही परिवहन व्यय में भी मितव्ययता सुनिश्चित हो सके।

4. प्रदेश में स्थित एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 के प्रत्येक गोदाम में जहाँ गेहूँ का भण्डारण स्टेटपूल में किया जायेगा, वहाँ खाद्य विभाग की विपणन शाखा का स्टाफ तैनात रहेगा जो गेहूँ की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच संग्रहण ऐजेन्सी के साथ संयुक्त रूप से करने के उपरान्त गेहूँ का स्टॉक प्राप्त करेगा। विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर एस0डब्ल्यू0सी0 के गोदामों में भण्डारण हेतु स्थान रिक्त नहीं बचेगा तथा अन्य स्थलों पर मूवमेंट संभव नहीं हो सकेगा, ऐसी परिस्थिति में गेहूँ खरीद प्रभावित न होने पाये इसको दृष्टिगत रखते हुये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गेहूँ भण्डारण हेतु खाद्य विभाग के गोदामों का प्रयोग कर सकेंगे एवं इसकी सूचना तत्काल खाद्यायुक्त को देंगे। इस प्रकार भण्डारित गेहूँ के संबंध में उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा आदि का दायित्व संबन्धित **गोदाम प्रभारी/केन्द्र प्रभारी/उप सम्भागीय विपणन** अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक का होगा।

16. स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था

1. गढ़वाल सम्भाग में गेहूँ की खरीद कुमायूँ सम्भाग के सापेक्ष कम होने एवं गढ़वाल सम्भाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation हेतु गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 एवं अन्य क्रय ऐजेन्सियों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम सम्भाग स्तर पर सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों के स्तर से जारी किया जायेगा, जिसमें कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग के गेहूँ क्रय केन्द्रों से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु संचरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ सम्भाग के साथ–साथ गढ़वाल सम्भाग में भी आवंटन के अनुरूप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर हेतु गेहूँ की आपूर्ति चावल की भाँति ऋषिकेश केन्द्र से की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने–अपने सम्भाग में

भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ–साथ अन्तर–सम्भाग (inter-regional) गेहूँ का ऐसा संचरण/भण्डारण करायेंगे कि समयान्तर्गत आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

2. रबी–विपणन सत्र 2022–23 में **उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 विभाग द्वारा** मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सहायक निबन्धक, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर एवम् चम्पावत को अपने–अपने जनपदों में गेहूँ खरीद हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सहायक निबन्धक सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपदों में सहकारिता व यू0सी0एफ0 के समस्त क्रय केन्द्र दिनाँक 25.03.2022 से गेहूँ खरीद हेतु पूर्ण रूप से संचालित हो जाय तथा उनमें स्टाफ की नियुक्ति, परिवहन एवम् हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, बोरों की व्यवस्था, काँटे–बाट की व्यवस्था आदि समय से पूर्ण हो जाय। इस हेतु सहायक निबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

17. क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखाव

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे :–

1. टोकन पंजिका।
2. क्रय तक पट्टी/ऑनलाईन रसीद।
3. बिल बुक।
4. बोरा पंजिका।
5. दैनिक क्रय पंजिका
6. स्टॉक पंजिका।
7. रिजेक्शन पंजिका।
8. निरीक्षण पंजिका।
9. बैंक लेखा/चैक बुक/निर्गत चैक/पी0पी0ए0 की विवरण पंजिका।
10. ऑनलाईन मूवमेन्ट चालान पत्रावली।
11. शासनादेश की पत्रावली।
12. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली।
13. शिकायत पंजिका।
14. बैंक स्क्रॉल पत्रावली।
15. दैनिक मण्डी आवक पत्रावली।

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा तथा उच्चाधिकारियों को रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका क्रय केन्द्र पर मांगे जाने पर प्रभारियों द्वारा अवलोकित करायी जायेगी तथा निरीक्षण उपरान्त उक्त पंजिका में माननीय जनप्रतिनिधियों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा अपनी आख्या अंकित की जायेगी।

18. खरीद प्रक्रिया

(1) राज्य के लोक सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा रबी–विपणन सत्र 2022–23 के अर्न्तगत क्रय नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। सम्बन्धित मण्डी समितियाँ भी इस आशय का प्रचार करेगीं कि किसान अपना गेहूँ साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लायें, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषकों द्वारा साफ–सुथरा गेहूँ विक्रय हेतु नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व क्रय केन्द्र पर दो जाली वाले छन्ने से भली–भाँति अनिवार्यतः साफ कराकर

ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जायेगी। यदि किसी कृषक द्वारा स्वयं साफ न करके गेहूँ की सफाई का कार्य क्रय केन्द्र पर नियुक्त हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो काश्तकार से इस कार्य हेतु मण्डी समिति की निर्धारित दरों पर सफाई का मूल्य कृशक को देय भुगतान से समायोजित कर लिया जायेगा। किसी भी दशा में क्रय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(2) क्रय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों का ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टियों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर क्रय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों हेतु प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना क्रय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बडे अक्षरों में "**प्रतिनिधि नमूना**" लिखा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी क्रयकर्ता एजेंसी की होगी। स्टेट पूल डिपो पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती हैं तो उसके लिए सम्बन्धित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा क्रय एजेन्सी उत्तरदायी होंगे।

(3) रबी–विपणन सत्र 2022–23 में गेहूँ खरीद ऑनलाईन खरीद पोर्टल ई–खरीद (www.ekhareedfcs.uk.gov.in) के माध्यम से निम्न प्रकियानुसार किया जायेगा :–

(क) वेब ब्राउजर में उक्त पोर्टल का लिंक अंकित कर Search करें तथा गेहूँ खरीद सत्र 2022–23 पर क्लिक करें।

(ख) लॉगइन पेज पर क्रय केन्द्र का चयन कर पासवर्ड अंकित कर लॉगइन करें।

(ग) कृषक पंजीकरण हेतु कृषक के आधार कार्ड, खतौनी, कृषक आई0डी0, मोबाईल नम्बर व बैंक खाते के विवरण आवश्यक हैं। केन्द्र प्रभारी उक्त सूचना से सम्बन्धित छाया प्रतियां कृशक पंजीकरण पत्रावली में संकलित करें।

(घ) केन्द्र प्रभारी द्वारा कृषक की भूमि व उपज सम्बन्धी सूचना ई–खरीद पोर्टल में एकीकृत भू–लेख पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त कर अंकित की जाएगी तथा सत्यापन हेतु सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी (SDM) को प्रेषित की जाएगी।

(ड़) सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी द्वारा अपने एस0डी0एम0 लॉगिन (SDM Login) में प्राप्त पंजीकृत कृषकों का सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी के माध्यम से प्राप्त कृषक के विवरण को Update/Verify/Reject करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(च) उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन होने उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा सम्बन्धित कृषक का उत्पाद क्रय कर ऑनलाईन क्रय रसीद का प्रिंट कर कृषक को देगें तथा एक प्रति कार्यालय में संकलित करेगें।

(छ) दैनिक क्रय उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा बैंक स्क्रॉल जनरेट किए जाऐंगे तथा तद्उपरान्त कृषकों को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से पी0पी0ए0 जनरेट कर भुगतान किया जायेगा।

(ज) क्रय केन्द्र प्रभारी क्रय गेहूँ की मात्रा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो हेतु ऑनलाईन मूवमेंट चालान जनरेट कर प्रेषित करेंगे।

(झ) स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो प्रभारी द्वारा क्रय केन्द्र से प्रेषित गेहूँ की मात्रा को संग्रहण डिपो पर ऑनलाईन प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

(4) क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुविधा हेतु यदि अतिरिक्त कॉंटे लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कॉंटों की संख्या निर्धारित करने से पूर्व समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इनको संचालित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात हो।

(5) जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जाँच की जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ क्रय कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़े।

(6) ऐसे कृषक जिनका विक्रय हेतु लाया गया गेहूँ 25 कुन्तल से कम हो तथा महिला कृषक को क्रय केन्द्रों पर उनका उत्पाद क्रय करने हेतु क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

(7) गेहूँ की बोरों में भराई, सिलाई तथा स्टैंसिलिंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रहेगी :–

(क) बोरों में 50 कि0ग्रा0 गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।

(ख) बोरों की सिलाई मशीन अथवा 08 टाँकों से मजबूत सुतली से की जायेगी।

(ग) प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, क्रय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/क्रय एजेन्सी/क्रय केन्द्र का कोड़ नम्बर अंकित होगा।

(अ)	क्रय एजेन्सी का नाम	कोड नम्बर
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	01
2.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0	02
3.	एन0सी0सी0एफ0	03
4.	नैफैड	04
5.	उत्तराखण्ड प्रादेशिक कॉपरेटिव यूनियन लि0	05
6.	उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0	06

(ब)	जनपद का नाम	कोड नम्बर
1.	देहरादून	001
2.	पौड़ी गढ़वाल	002
3.	हरिद्वार	003
4.	नैनीताल	004
5.	ऊधमसिंह नगर	005
6.	चम्पावत	006

क्रय केन्द्रों के कोड क्रय एजेंसियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य आयुक्त एवं शासन को दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से पूर्व सूचित किये जायेंगे।

रबी–विपणन सत्र 2022–23 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–15–35/2020–Py.III(E.file373783) दिनाँक 26.08.2021 में प्रविधानित व्यवस्थानुसार गेहूँ के बोरों की कलर कोडिंग, स्टेन्सिलिंग एवं ब्रांडिंग तथा बोरों के मुख पर नीले रंग की मार्किंग अथवा स्टिचिंग की जायेगी।

रबी–विपणन सत्र 2022–23 के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों पर नियुक्त हैण्डलिंग ठेकेदारों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ के बोरों पर सिलाई मशीन से अनिवार्यतः सिलाई की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में अथवा विद्युत की उपलब्धता न होने की स्थिति में क्रय गेहूँ के बोरों में 08 टांके की सुतली से सिलाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैंसिलिंग व छपाई न करने पर क्रय एजेंसियाँ हैण्डलिंग ठेकेदार से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियाँ करेंगी :–

क्र0सं0	विवरण	कटौती की दर
1	खराब सिलाई 08 टाँकों से कम	रूपये 5.00 प्रति बोरा
2	स्टैंसिलिंग न करना/खराब करना	रूपये 5.00 प्रति बोरा

(8) यदि क्रय केन्द्र पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुसार किसान का विक्रय हेतु लाया गया गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा इसका अंकन रिजेक्शन पंजिका में किया जायेगा जिसमें कृषक का नाम, उसका पूर्ण पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्रा अथवा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा तथा इसकी सूचना कृषक को भी अनिवार्यतः दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर माँग किये जाने पर सम्बन्धित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(9) क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष गेहूँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसियों का होगा। सुरक्षा के लिए सभी वाँछित उपाय क्रय एजेंसी सुनिश्चित करेगीं। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय संस्थाओं को अनुमन्य प्रासंगिक व्ययों से की जायेगी।

(19) कोविड–19 के दृश्टिगत गेहूँ क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

(1) क्रय संस्थाओं द्वारा राज्य मे गेहूँ की खरीद कृषकों से ई–खरीद पोर्टल पर की जायेगी।

(2) ई–खरीद पोर्टल पर कृषक अपना पंजीकरण स्वयं ऑनलाईन अपने ग्राम के निकटतम क्रय केन्द्र पर करा सकेंगे। जो कृषक स्वयं अपना पंजीकरण ऑनलाईन करने में असमर्थ हो ऐसी स्थिति में क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित अपने क्रय केन्द्रों पर कृषकों से वांछित अभिलेख प्राप्त कर उनके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से स्वयं पंजीकरण करने वाले कृषक पंजीकरण सम्बन्धी अन्य अभिलेख गेहूँ विक्रय हेतु निर्धारित की गयी तिथि को क्रय केन्द्र पर प्रस्तुत करेंगे।

(4) यह भी व्यवस्था रहेगी कि कृषक क्रय केन्द्र प्रभारियों के दूरभाश व ई–मेल आई0डी0 की सूची जो कि ई–खरीद पोर्टल www.ekhareedfcs.uk.gov.in पर उपलब्ध है, पर कृषक अपने निकटतम केन्द्र प्रभारियों से दूरभाष व ई–मेल आई0डी0 से भी सम्पर्क कर क्रय केन्द्र पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर कृषक के पंजीकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) कृषकों के पंजीकरण एवं सत्यापन होने उपरान्त क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा सम्बन्धित पंजीकृत कृषकों को क्रय केन्द्र पर गेहूँ लाने हेतु टोकन प्रदान किया जायेगा। कृषकों को पंजीकरण में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नं0 पर यथासंभव SMS/दूरभाष पर भी क्रय केन्द्र पर अपना उत्पाद विक्रय हेतु लाने के लिये तिथि/समय प्रदान किया जा सकेगा।

(6) क्रय केन्द्र प्रभारी कोविड–19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये एक दिवस में क्रय केन्द्र पर अधिकतम 10 कृषकों को उनके उत्पाद विक्रय हेतु मारकेटिबल सरप्लस के आधार पर टोकन प्रदान करेगें।

(7) क्रय केन्द्रों पर एक दिन में अधिकतम 10 कृषकों को अथवा 500 कुन्तल गेहूं खरीद के आधार पर ही टोकन निर्गत किये जायेगें तथा निर्धारित तिथि/समय staggered ढंग से दिया जायेगा ताकि क्रय केन्द्रों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(8) यथासम्भव यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस वाहन में कृषक अपना उत्पाद विक्रय हेतु निर्धारित तिथि/समय पर केन्द्र पर आयेगें उसमें 02 से अधिक व्यक्ति सवार न हो।

(9) क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख–सुविधा की व्यवस्था करने का मुख्य दायित्व मण्डी परिषद का है अतः कोविड–19 के दृष्टिगत प्रत्येक क्रय केन्द्र को नियमित रूप से सैनिटाइज कराने तथा क्रय केन्द्र पर उपस्थित श्रमिको/कृषकों की सुरक्षा हेतु मण्डी परिषद द्वारा दैनिक रूप से सैनिटाईजर व मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(10) कोविड–19 के दृष्टिगत स्वस्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा की दृष्टि से सभी क्रय केन्द्रों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पूर्ण ध्यान रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. <u>सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद का निराकरण</u>

संग्रहण डिपो पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता सम्बन्धी विवादों के निराकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(1) केन्द्रीय पूल में गेहूँ के सम्प्रदान किये जाने पर विवाद होने की दशा में भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेंसी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने प्रतिनिधि संयुक्त रूप से नामित किये जायेंगे।

स्टेट पूल में गेहूँ की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गठित की जायेगी। इस समिति के लिए क्रय ऐजेंसी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(अ) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक।

(ब) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक।

(स) सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी।

21. <u>संग्रह एजेंसी द्वारा अस्वीकृत गेहूँ का निस्तारण</u>

क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किया गया गेहूँ यदि भारतीय खाद्य निगम अथवा स्टेटपूल गोदामों पर मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे क्रय संस्थाओं द्वारा बाजार में बेचकर निस्तारित कराया जायेगा जिसके लिये अलग से शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस मद में होने वाले किसी व्ययभार की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में नहीं की जायेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार की विपणन शाखा को भी अस्वीकृत गेहूँ अपने स्तर से निस्तारित करना होगा। ऐसा करने में यदि शासन को आर्थिक हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।

22. <u>कठिनाईयों का निराकरण</u>

गेहूँ खरीद से सम्बन्धित जारी किये गये इस शासनादेश के क्रियान्वयन में यदि किसी समय कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता

होती है, तो उसके लिये आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो

नीतिविषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23. **पुरस्कार, मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था**

गेहूँ खरीद में महत्वपूर्ण योगदान देने पर क्रय केन्द्रों पर तैनात स्टाफ को पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गेहूँ क्रय में किसी अधिकारी/कर्मचारी की किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित किये जाने पर भी विचार किया जायेगा।

24. **खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना**

1. राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा। जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्यशील रहेगा। इसी प्रकार सम्भाग स्तर पर तथा जनपद स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित गेहूँ खरीद से सम्बन्धित सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को दूरभाष/फैक्स संख्या– 0135–2780778 तथा ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
2. क्रय ऐजेन्सियों द्वारा दैनिक गेंहूँ एवं खरीद के आंकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल ऑफिसर द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Precurement Monitoring System) के अन्तर्गत क्रय संस्थाओं द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक गेहूँ खरीद के आंकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियंत्रण कक्ष, खाद्यायुक्त कार्यालय एवं भारतीय खाद्य निगम को OPMS (Online Precurement Monitoring System) में नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

25. **गेहूँ क्रय का अनुश्रवण**

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा भी क्रय एजेंसियों के साथ प्रत्येक सप्ताह अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर गेहूँ खरीद की समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए खाद्यायुक्त को अवगत कराया जायेगा।

(2) सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उपसंम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा बोरों की व्यवस्था, क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर की गयी गेहूँ खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम/स्टेटपूल डिपो को इसके सम्प्रदान आदि की नियमित समीक्षा की जायेगी। केन्द्रीय पूल में सम्पद्रान होने की स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा क्रय एजेंसियों के अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक करेंगे और गेहूँ खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन/खाद्यायुक्त को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 एवं अन्य नामित क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 तथा सम्बन्धित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (गेहूँ खरीद योजना

के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेंगे।

26– <u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवं अन्य मदों हेतु व्यवस्थाः–</u>

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर रबी–विपणन सत्र 2022–23 में गेहूँ कय के सफल कियान्वयन हेतु निर्धारित कय अवधि के लिए आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती/अस्थायी नियुक्ति, खरीद योजना का प्रचार प्रसार, स्टेशनरी, कोविड–19 के दृष्टिगत हैण्ड सैनेटाइजर, मास्क, ऑनलाईन धान क्रय कार्य हेतु अन्य **समस्त** सामग्री, कय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु किराये पर वाहन, पी0ओ0एल0, वर्षा से बचाव हेतु तिरपाल एवं क्रेटस आदि की व्यवस्था तथा क्रय खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि पर होने वाला व्यय अनुमन्य होगा **जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से सम्बन्धित खरीद सत्र हेतु राज्य के लिये जारी अनन्तिम आनुषांगिक दरों में अनुमन्य प्रशासनिक व्यय के स्वीकृत** (Allowed) **मदों के आधार पर की जायेगी।**

गेहूँ का क्रय मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ई–खरीद करने हेतु कृषकों का पंजीकरण, मिलों का पंजीकरण का कार्य चूंकि वर्ष पर्यन्त किया जाना है तथा स्टेटपूल, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व सम्प्रदान एवं इसकी बिलिंग/भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष में होता रहेगा अतएव उक्त मदों में होने वाले समस्त व्यय पूरे वित्तीय वर्ष हेतु अनुमन्य होगें।

उक्त के अतिरिक्त सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, व गेहूँ के मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। **अन्य नामित कय संस्थाओं द्वारा भी इस मद में अपने संसाधनों से व्यवस्था की जा सकेगी जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी कास्टशीट में अनुमन्य प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृत** (Allowed) **मद से की जायेगी। इस मद की प्रतिपूर्ति हेतु समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत** (Allowed) **अनुमन्य हुये व्ययों का साक्ष्य/अभिलेख अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि प्रतिपूर्ति भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई न होने पावे।**

27– <u>गेहूँ क्रय–केन्द्रों का निरीक्षण</u> :–

27(1) खाद्य विभाग तथा क्रय संस्थाओं **के** जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक गेहूँ खरीद केन्द्रों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं एवं वहाँ अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं तथा किसानों का गेहूँ नियमानुसार खरीदा जा रहा है अथवा नहीं।

27(2) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी सभी केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी अपने जनपदों/क्षेत्रो में क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह देखेंगे कि गेहूँ खरीद का कार्य समुचित ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

खाद्यायुक्त स्तर पर एक सचल दस्ता गठित किया जायेगा जिसमें उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक सम्मिलित होंगे। सचल दस्ता द्वारा गेहूँ क्रय केन्द्रों तथा स्टेटपूल डिपो पर गेहूँ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु

आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा उसकी सूचना खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

28. क्रय केन्द्रों का निरीक्षण

रबी–विपणन सत्र 2022–23 में स्थापित क्रय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार द्वारा गेहूँ खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रक्रिया में बिचौलिये तो कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार रबी–विपणन सत्र 2022–23 में मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत गेहूँ खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव

संख्या–252 (i)/22–XIX-2/01 खाद्य/2022 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
5– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून एवं हल्द्वानी।
9– निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
13– उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15– सम्बन्धित क्रय एजेन्सी, द्वारा खाद्यायुक्त।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार),
अनु सचिव